न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या–30/2021

1. सूर्यप्रकाश जोशी उर्फ बन्टी जोशी पुत्र सोहनलाल जोशी, जाति ब्राहम्ण, निवासी मलसीसर, जिला झुंझुनू।

–निगरानीकार–

–बनाम–

1. शशीकांत उम्र 25 वर्ष पुत्र अरूण कुमार, जाति महाजन, निवासी मलसीसर, जिला झुंझुनू।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मलसीसर, पंचायत समिति अलसीसर जिला झुंझुनू।
3. सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर, पं.स. अलसीसर जिला झुंझुनू।

– गैर निगरानीकार–

निगरानी अं0धारा 97 राज0 पंचायती राज अधि01994 विरूद्ध आदेश
सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर, पंचायत समिति अलसीसर, दिनांक 10.8.2021

उपस्थितिः–

1. श्री राजकुमार सैनी , एडवोकेट ————————निगरानीकार की ओर से।
2. श्री इन्द्रजीत शर्मा एडवोकेट————————गैर निगरानीकार की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 10.10.2022

उक्त निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 10.08.2021 सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर, पंचायत समिति अलसीसर दिनांक 10.08.2021 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि– निगरानीकार का कथन है कि उसने दिनांक 25.03.2021 को ग्राम मलसीसर में एक भूखण्ड पुरूषोतम लाल जोशी से क्रय किया जिसका उतरी सीरा 72 फीट 11 ईंच, दक्षिणी सीरा 88 फीट 3 ईंच, पूर्वी सीरा 63 फीट 6 ईंच एवं 28 फीट, पश्चिमी सीरा 59 फीट 2 ईंच, जिसमें से दिनांक 20.6.2021 को कुछ हिस्से का बेचान गैर निगरानीकार संख्या 1 को कर दिया, जिसकी उतरी सीरा 41 फीट, दक्षिणी सीरा 43 फीट 11 ईंच, पूर्वी सीरा 64 फीट 7 ईंच, पश्चिम सीरा 61 फीट 8 ईंच, कुल एरिया 297.58 वर्गगज जो खाली भूमि है, जिसका विक्रय इकरारनामा दिनांक 20.6.2021 को 100/–रूपये के स्टाम्प पर लिखकर नोटेरी एडवोकेट से तस्दीक करवाया था, लेकिन उक्त विक्रय इकरारनामा में वर्णित राशि 2,50000/– रूपये का निगरानीकार को भुगतान नहीं किया गया। आज भी निगरानीकार विवादित भूखण्ड पर काबिज है। ऐसे में गैर निगरानीकार संख्या 1 ने ग्राम पंचायत मलसीसर से दिनांक 10.08.2021 को धारा 97 (1) राज0 पंचायती राज नियम के तहत मनगढंत तथ्यों के आधार पर पट्टा बनवा लिया है। गैर निगरानीकार ने दिनांक 20.6.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:58 IST
Reason: SelfAttested

2021 को निगरानीकार से 297.58 वर्गगज खाली भूमि कय की है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है और न ही उक्त भूमि में गैर निगरानीकार निवास करता है। धारा 157 (1) राज. पंचायती राज नियम के तहत पुराने गृहों का ही विनियमितिकरण किया जाता है। जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखता है और पट्टा बनवाना चाहता है। विवादित भूमि पर निगरानीकार को न तो गैर निगरानीकार ने अभी तक भुगतान किया है और न ही गैर निगरानीकार का विवादित भूमि पर कब्जा है। कब्जे के अभाव में विवादित भूखण्ड पर पट्टा कानूनन जारी नहीं किया जा सकता। गैर निगरानीकार ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रिन्टेड फार्म को ही भरकर जमा करवाया है जिसमें आबादी भूमि का खसरा नंबर क्या है नहीं लिखा है। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने झूठा वर्णिन कर दिया है कि मैं स्वयं का रिहायशी पक्का मकान बना हुआ है जिसमें मेरा परिवार पीढी गत वर्षो से रह रहा है। अपने पार्थना पत्र में निगरानीकार ने यह तथ्य नहीं अंकित किया है कि उसका परिवार कितने वर्षो से काबिज है। अनापति प्रमाण पत्र पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही पटवारी की रिपोर्ट करवायी गई है। निरीक्षण समिति ने मौका देखकर निरीक्षण करना बताया है, लेकिन अपनी रिपोर्ट में विवादित स्थल की चतुर्सीमा अंकित नहीं की है, तथा सरपंच के आदेश में निर्णय पत्र में भी प्रफोर्मा निर्णय किया हुआ है जिसमें कब्जे के तथ्य खाली रखे हुये है। कितने वर्षो का कब्जा है कुछ भी अंकित नहीं है, पक्के मकाने बने होने की रिपोर्ट कहीं भी नहीं है। इसके बावजूद अवैध गलत व खिलाफ पत्रावली जाकर पट्टा जारी किया गया है। उक्त पटा जारी करने में नियम 157 (1) राज. पंचायती राज नियमों की पालना नहीं हुई है। गैर निगरानीकार ने अपने शपथ पत्र में भी झूठे व अवैध तथ्य दर्ज किये हैं। गैर निगरानीकार 1 ने शपथ पत्र में झूठे ही अपना स्वयं का रिहायशी पैत्रिक मकाना होना जाहिर किया है। पत्रावली की आदेशिका में प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 22.06.2021 में स्वयं के रिहायशी मकान का पट्टा चाहने हेतु दर्ज है जबकि विवादित भूखण्ड पर कोई रिहायश नहीं है। गैर निगरानीकार संख्या 1 का मौके पर कोई कब्जा ही नहीं है तथ कमेटी द्वारा स्थल का नजरी नक्शा कमेटी के सदस्यों द्वारा नहीं बनाया गया है। प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.07.2021 में भी गलत व मनगढन्त तथ्य दर्ज किये जिसमें पटवारी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। दिनांक 22.6.2021 को अनापति नोटिस जारी किये गये हैं तथा दिनांक 06.07.2021 को मात्र 13 दिन बाद ही आपति प्रस्तुत नहीं हुई मानकर पत्रावली का पट्टा जारी कर दिया गया है, जबकि कानूनन अनापति 30 दिन के नोटिस के साथ जारी की जानी चाहिए। उक्त पट्टा अवैध प्रकिया के तहत जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व विधिक प्रावधानों की अनदेखी की जाकर पट्टा जारी किया गया है जो काबिले निरस्त है। अंत में निगरानी पेश कर गैर निगरानीकार नंबर 1 [illegible] संख्या 321 आदेश दिनांक 10.08.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

2021 विधि विरूद्ध गलत व अनऔचित्यपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 को विधिक प्रावधानों के बाहर जाकर बिना कब्जे के आधार पर खाली भूमि का पट्टा संख्या 321 दिनांक 10.08.2021 को जारी किया गया है। अपने पार्थना पत्र में निगरानीकार ने यह तथ्य नहीं अंकित किया है कि उसका परिवार कितने वर्षो से काबिज है। अनापति प्रमाण पत्र पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही पटवारी की रिपोर्ट करवायी गई है। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट में विवादित स्थल की चतुर्सीमा अंकित नहीं की है। सरपंच के आदेश में निर्णय पत्र में भी प्रफोर्मा निर्णय किया हुआ है जिसमें कब्जे के तथ्य खाली रखे हुये है। कितने वर्षो का कब्जा है कुछ भी अंकित नहीं है, पक्के मकाने बने होने की रिपोर्ट कहीं भी नहीं है। उक्त पट्टा जारी करने में नियम 157 1 राज. पंचायती राज नियमों की पालना नहीं हुई है। गैर निगरानीकार 1 ने शपथ पत्र में झूठे ही अपना स्वयं का रिहायशी पैत्रिक मकान होना जाहिर किया है। पत्रावली की आदेशिका में प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 22.6.2021 में स्वयं के रिहायशी मकान का पट्टा चाहने हेतु दर्ज है जबकि विवादित भूखण्ड पर कोई रिहायश नहीं है। गैर निगरानीकार संख्या 1 का मौके पर कोई कब्जा ही नहीं है । प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.07.2021 में भी गलत व मनगढन्त तथ्य दर्ज किये जिसमें पटवारी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। दिनांक 22.6.2021 को अनापति नोटिस जारी किये गये हैं तथा दिनांक 06.07.2021 को मात्र 13 दिन बाद ही आपति प्रस्तुत नहीं हुई मानकर पत्रावली का पट्टा जारी कर दिया गया है, जबकि कानूनन अनापति 30 दिन के नोटिस के साथ अनापति जारी की जानी चाहिए। उक्त पट्टा अवैध प्रकिया के तहत जारी किया जाना बताया गया और निगरानरीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 321 दिनांक 10.08.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

गैर निगरानीकार की और से विद्धान अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत शर्मा ने कथन किया कि विवादित भूखण्ड उन्होंने जरिये इकरारनामा क्रय किया था जिस पर गैर निगरानीकार का कब्जा है और ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया अपनायी जाकर नियमानुसार शुल्क जमा कर गैर निगरानीकार को पट्टा संख्या 321 दिनांक 10.08.2021 जारी किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2019 सीजे (Rent Control) 225 पेश की गई।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत मलसीसर की पट्टा संख्या–321 दिनांक 10.08.2021 की पत्रावली एवं कार्यवाही रजिस्टर का मेरा द्वारा ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। गैर निगरानीकार संख्या–1 शशीकांत द्वारा एक प्रिंटेड प्रफोर्मा प्रार्थना पत्र पुराने गृहों का विनियमिति करण नियम राजस्थान पंचायत राज अधि0 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा दिलाने बाबत सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर के समक्ष पेश किया गया है जो कितने तारीख को पेश किया गया आवेदन पत्र में दिनांक अंकित नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र में मकान का स्थल नक्शा उत्तर–दक्षिण व पूर्व पश्चिम का कितना फीट सीरा है, अंकित नहीं किया गया है। पटवारी रिपोर्ट के प्रिंटेड प्रफोर्मा को भरकर पत्रावली में लगाया गया है जिस पर भी हल्का पटवारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। स्थल निरीक्षण, नजरी नक्शा, निर्णय पत्र, शपथ पत्र, आदेशिका समस्त प्रिंटेड प्रफार्मा एक ही व्यक्ति द्वारा तैयार कर पत्रावली में लगाये गये हैं कोई भी प्रफोर्मा पूर्ण नहीं है। समस्त कार्यवाही विधिक प्रावधानों को दरकिनार कर पट्टा जारी किया गया है। अनापति प्रमाण पत्र पर भूखण्ड के चारों दिशाओं के व्यक्तियों के नाम अंकित किये गये हैं,लेकिन किसी के भी हस्ताक्षर नहीं करवाये गये हैं,यह किस तारीख को तैयार किया गया, दिनांक अंकित नहीं है। नजरी नक्शें का प्रारूप भी खाली है भूखण्ड का कौनसा सीरा कितने फीट है,अंकित नहीं किया गया। निर्णय पत्र भी एक प्रिंटेड प्रफोर्मा का भरा गया है जिसमा फैसला दिनांक खाली है, भूमि का आराजी नंबर खाली है, भूखण्ड पर परिवार कितने वर्षो से रह रहा है,खाली है। शपथ पत्र पर गैर निगरानीकार नंबर 1 के हस्ताक्षर है वह भी प्रिंटेड प्रोफोर्मा में है। समस्त आदेशिका प्रिंटेड फोरमेट को भरकर तैयारी की गई हैं, जो विधिक दृष्टि से कतई सही नहीं हैं। ग्राम पंचायत मलसीसर की पत्रावली में गैर निगरानीकार नंबर 1 द्वारा भूमि के कब्जे एवं स्वामित्व के संबंध में प्रस्तुत एक इकरारनाम दिनांक 23.04.2021 का अवलोकन किया गया। प्रथम तो आबादी भूमि का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बेचान/विकय करना ही विधि विरूद्ध है। इस इकरारनामें के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड खाली भूखण्ड है जिस पर कोई निर्माण आवास/मकान बने हुये नहीं है, खाली प्लाट को एक दूसरे को बेचान किया गया है। ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा गैर निगरानीकार नंबर–1 को जारी पट्टा संख्या 321 दिनांक 10.08.2021 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत प्रारूप 23 क में जारी किया गया है। इस नियम के अंतर्गत पुराने गृहों का विनियमितिकरण के प्रावधान किये गये हैं न कि किसी खाली प्लाट जो गैर निगरानीकार द्वारा पट्टा जारी होने से केवल मात्र 5 माह पूर्व किसी तीसरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gaur
Date: 2022.10.18 12:08:58 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्ति से क्रय करने का उल्लेख किया है। गैर निगरानीकार की स्वयं की स्वीकारोक्ति है कि उसने उक्त भूखण्ड सूर्यप्रकाश जोशी से क्रय किया है। ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा यह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अधीन प्रारूप 23 क में निम्नलिखित शर्तों पर श्री शशिकान्त पुत्र अरूण कुमार के पक्ष में जारी किया गया है– जिसमें बिन्दू संख्या–1 में अंकित है कि पूर्वाक्त आवंटिती का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है/पंचायत आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायती राज विभाग 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले 50 वर्ष के दौरान संनिर्मित किया गया है। आवंटिती ने एक सो/दौ सौ रूपये की फीस निक्षिप्ति कर दी है, आदि शर्ते अंकित हैं। ग्राम पंचायत मलसीसर की गैर निगरानीकार संख्या 1 शशीकांत को जारी पट्टा संख्या 321 दिनांक 10.08.2021 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा समस्त कार्यवाही विधिक प्रकिया एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को कानूनी प्रावधानों को दर किनार करके समस्त कार्यवाही के प्रिंटेड प्रफोर्मा जो कि अपूर्ण है, भरकर उक्त पट्टा जारी किया गया है, जिसको कतई विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता। विद्वान अधिवक्त गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता, ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा संकल्प संख्या 03 दिनांक 5.08.2021 के क्रम में गैर निगरानीकार संख्या–1 शशीकांत के नाम से जारी पट्टा संख्या 321 दिनांक 10.08.2021 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत मलसीसर को भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:58 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू